संख्या-130/2025/727/001-23-4099-83-2024

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च**, 2025

विषय:- जनपद मथुरा में टैंक चौराहा से गोकुल बैराज मोड़ तक (दिल्ली कलकत्ता मार्ग) (शहरी भाग) का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-638नि0/104-01नि0/24-25, दिनांक 23.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-58 के ''लेखाशीर्षक 5054-04-337-11-00 धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था'' योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार जनपद मथुरा के 01 मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु आंकलित/परीक्षित लागत रू0 494.37 लाख (रू0 चार करोड़ चौरानबे लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंकलित लागत के सापेक्ष रू0 395.49 लाख (रूपये तीन करोड़ पन्चानबे लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	**जनपद**	**कार्य का विवरण**	**आंकलित लागत**	**स्वीकृति धनराशि**
1	मथुरा प्रा0ख0	टैंक चौराहा से गोकुल बैराज मोड़ तक (दिल्ली कलकत्ता मार्ग) (शहरी भाग) का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। सीएमआईएस सं0-202400003100520	494.37	395.49

(रूपये तीन करोड़ पन्चानबे लाख उनचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) प्रायोजनान्तार्गत कार्य में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(3) प्रायोजना में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। विभाग स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न् कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

(4) प्रायोजनान्तर्गत मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्तर स्ट्रक्चर्स यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण, आई0आर0सी0/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों के अनुसार कराया जायेगा।

(5) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त् आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त् करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत कार्य की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रयोजना का निर्माण कार्य समय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(10) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्क में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य् प्रतियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्स्फर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(12) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(13) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में निहित प्राविधानों का अक्षश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी0-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था /शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य समय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(17) एस० ओ० आर० के संबंध में मुख्य सचिव, उ०प्र० के पत्र संख्या-140/पी० एस०एम० एस 0/2025, दिनांक 25.02.2025 एवं लोक निर्माण अनुभाग-9 के पत्र संख्या-आई/894783/2025, दिनांक 01.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिधित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,95,49,000 (रुपये तीन करोड़ पंचानबे लाख उनचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371100 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-383-X-2024-25-दिनांक:19-11-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 130/2025/727(1)/001-23-4099-83-2024, **तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

6- जिलाधिकारी, मथुरा।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

9- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मथुरा क्षेत्र,मथुरा ।

10- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मथुरा।

11- अधिशासी अभियन्ताष, प्रान्तीय खण्ड।, लोक निर्माण विभाग, मथुरा।

12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।

13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

15- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ0प्र0 शासन।

16- नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव कुमार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।